[$] संसद अधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1956

1. **संक्षिप्त नाम** – इस नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1956 है।

2. **राज्यसभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष को अनुज्ञेय भत्ते – राज्य सभा का सभापति और लोक सभा का अध्यक्ष, प्रत्येक –**

(क) अपना पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुंब की चीज-बस्तु के परिवहन के लिए उन्हीं यात्रा भत्तों का हकदार होगा जो मंत्रिमण्डल के किसी मंत्री को मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन उसके पदाग्रहण और पदमुक्त होने पर अनुज्ञेय है;

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत में किए गए अपने दौरों के बाने में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो मंत्रिमण्डल के किसी मंत्री को उक्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है;

(ग) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किए गए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक दशा में अवधारित करे।

3. **लोक सभा के अध्यक्ष को अनुज्ञेय कुछ अतिरिक्त भत्ते-**

लोक सभा का अध्यक्ष लोक सभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर दिल्ली से अपने निर्वाचन-क्षेत्र (मुख्यालय) को की गई अपनी यात्रा के बारे में और आगामी सत्र के प्रारंभ पर वापस दिल्ली की यात्रा के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात्:-

(क) नियम-2 के खंड (ख) के अधीन अनुळ्ोय दरों पर यात्रा भत्ते (दैनिक भत्ते के बिना) का;

[$] हिन्दी अनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3, दिनांक 31-8-1988 में प्रकाशित किया गया।

(ख) स्वयं अपनी जोखिम पर अपनी मोटरकार के कर्षण के लिए वास्तविक प्रभार का; और

(ग) अपने कार चालक के लिए निम्नतम दर्जे के वास्तविक रेल किराए का।

4. उप-सभापति और उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय भत्ते - राज्य सभा का उप-सभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष, प्रत्येक -

(क) अपना पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर, अपने तथा अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए और अपने तथा अपने कुटुंब की चीज-बस्तु के परिवहन के लिए ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो किसी राज्यमंत्री को मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 के अधीन बनाए गए और तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन उसके पद ग्रहण और पद-मुक्त होने पर अनुज्ञेय है:-

(ख) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत में किए गए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो उक्त नियमों के अधीन राज्यमंत्री को अनुज्ञेय है;

(ग) यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर दिल्ली से अपने निर्वाचन-क्षेत्र (मुख्यालय) को की गई अपनी यात्रा के बारे में और आगामी सत्र के प्रारंभ पर वापस दिल्ली की यात्रा के लिए खंड (ख) के अधीन अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता (दैनिक भत्ते के बिना) पाने का हकदार होगा;

(घ) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से बाहर किए अपने दौरों के बारे में ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक दशा में, अवधारित करे।

4 क **यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के अग्रिम का संदाय** - किसी भी संसद अधिकारी को इन नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय किसी भी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते के अग्रिम का संदाय किया जा सकेगा।

5. इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व संदत्त भत्तों के बारे में विशेष उपबंध - किसी भी संसद अधिकारी को यात्रा और दैनिक भत्ते के रूप में इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व किए गए सभी संदाय उचित रूप से किए गए समळो जाएंगे, मानों वे दरें, जिन पर ऐसे भत्तों का संदाय किया गया था, इन नियमों के अधीन नियत की गई थी।